

फर्द ग्रहकाम


(नियम 26)

अज अदालत अति: जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

कैलाशचंद्र वनाम श. देवकी

किस्म मुकदमा अपील नं. 8 तप 57
2013 27/8/13

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर वा तारीख ग्रहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	---	---

<p>15.07.2013</p>	<p>अपीलान्त श्री <u>कैलाशचंद्र जाटव्या</u> ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होंगे।</p> <p style="text-align: right;">  बतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक </p>	
-------------------	---	--

21 $\frac{8}{13}$

पत्रावली न्यायालय अति जिला कलेक्टर टोंक से प्राप्त होने एवं मैत्रालिखित कर्मचारी ^{सांख्यिक} अवकाश पर होने के फलस्वरूप आज पेश हुई अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया।
 P.6. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश हो
 शेख

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही पर इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

23/10

पत्रावली पेश। अपीलाजट व उनके अधिभाषक
अनु। राजकीय पत्रकार (रेम्पेण) अपीलाजट
व उनके अधि. के बाद-बाद आवाज लगाई गई
किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलेंट
अदरत एजरी-अदरत पेशी में खारिज की जाती है।
पत्रावली रिजिट थुम्हा देका काद तयमीन दोरिस्त
करते है।

खारिजत जिजा उलेकद
हो